भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-695

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

कोयला विद्युत संयंत्र

695. डॉ. कलानिधि् वीरास्वामीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु सहित देश में कोयला विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) तमिलनाडु सहित संपूर्ण देश के कोयला विद्युत संयंत्रों के माध्यम से सृजित विद्युत के प्रतिशत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में नए कोयला विद्युत संयंत्रों की स्थापना का विरोध करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने तमिलनाडु सहित देश के सभी राज्यों के साथ इस मामले पर चर्चा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इसको कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, देश में 1,98,494.5 मेगावाट संस्थापित क्षमता के कुल 178 कोयला विद्युत संयंत्र हैं और तमिलनाडु में 9,520 मेगावाट संस्थापित क्षमता के 9 कोयला आधारित विद्युत संयंत्र हैं।

(ख) : वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 (दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान तमिलनाडु सहित देश में 25 मेगावाट एवं उससे अधिक क्षमता के कोयला विद्युत संयंत्रों सहित सभी स्रोतों से विद्युत उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	अखिल भारत उत्पादन - बिलियन यूनिट (बीयू)		**तमिलनाडु उत्पादन - बिलियन यूनिट (बीयू)**	
स्रोत	**2018-19**	**2019-20 (दिसम्बर, 2019 तक)**	**2018-19**	**2019-20 (दिसम्बर, 2019 तक)**
कोयला	987.68	718.709	47.937	32.183
कुल (सभी स्रोत)	1376.09	1055.75	100.676	76.329
% हिस्सेदारी	**71.77**	**68.08**	**47.62**	**42.16**

(ग) : विद्युत संयंत्र की स्थापना करना लाइसेंसमुक्त गतिविधि है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई उत्पादन कंपनी ग्रिड से संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों को यदि पूरा करती है तो अनुज्ञप्ति/अनुमति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है।

(घ) से (च) : प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-712

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

712. श्री नव कुमार सरनीयाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पड़ोसी देशों के सहयोग से बिजली परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की संपत्ति और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में एनटीपीसी और एनएचपीसी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है और उनके कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एनटीपीसी और एनएचपीसी में की गई नियुक्तियों और पदोन्नति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत विद्युत परियोजनाओं में निम्नलिखित पड़ोसी देशों के साथ सहयोग कर रहा है :

<u>बांग्लादेश</u>

बांग्लादेश में, रामपाल में, बांग्लादेश भारत मैत्री विद्युत निगम लि. (बीआईएफपीसीएल) के माध्यम से कोयला आधारित 1320 मेगावाट की, मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना निर्माणाधीन है जो कि एन टी पी सी तथा बांगलादेश पावर डेवलेपमेंट बोर्ड (बीपीडीपी) के बीच 50:50 का संयुक्त उपक्रम है।

<u>नेपाल</u>

पोखरा (1 मेगावाट), त्रिशुली (21 मेगावाट), वेस्टर्न गंडक (15 मेगावाट) तथा देवीघाट (14.1 मेगावाट) परियोजनाओं को भारतीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एस जे वी एन एल 900 मेगावाट के अरूण-।।। एच ई पी का निर्माण कर रहा है जो वर्ष 2022-23 तक चालू करने के लिए निर्धारित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, पारस्परिक हित की निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाएं चर्चाधीन हैं :-

परियोजनाएं	स्थापित क्षमता तथा स्थिति
रूपालीगढ़ के साथ पंचेश्वर	(4800+240) मेगावाट
सप्त कोसी हाई डेम तथा संकोसी डायवर्जन कम	3300 मेगावाट

स्टोरेज	

मुजफ्फरपुर (भारत) - ढ़लकेबर (नेपाल) डी/सी 400 के वी ट्रांसमिशन लाइन को, भारत तथा नेपाल के सहयोग के साथ पूरा किया गया है।

इसके अतिरिक्त, गोरखपुर (भारत) - बुटवल (नेपाल) 400 के वी डी/सी, सीमा पार, पारेषण लाइन का भारतीय भाग नेपाल विद्युत प्राधिकरण एवं भारतीय पीएसयू के 50:50 के संयुक्त उपक्रम से कार्यान्वन के लिए प्रस्तावित की जा रही है।

भूटान

चुखा एचईपी (336 मेगावाट), कूरिचू एचईपी (60 मेगावाट), ताला एचईपी (1020 मेगावाट) तथा मांगदेचू (एमएचपीए) (720 मेगावाट) परियोजनाओं को भारतीय सहायता (कार्यान्वयन के अंत: सरकारी तरीके के तहत) से कार्यान्वित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से जुड़ी पारेषण प्रणालियों को भी भारतीय सहायता से कार्यान्वित किया गया है।

पूनाटसांगछू-। (1200 मेगावाट) एचईपी, तथा पूनाटसांग्छू ।। एचईपी (1020 मेगावाट), भारतीय सहायता (कार्यान्वयन के अंत: सरकारी तरीके के तहत) से निर्माणाधीन परियेाजनाएं हैं। उपरोक्त के अलावा निम्न जल विद्युत परियोजनाएं भारतीय सहायता से कार्यान्वित की जानी प्रस्तावित हैं -

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	खोलोंगचू	600
2.	छमखरचू-। (डिगाला)	770
3.	बुनाखा	180
4.	वांग्चू	570
5.	संकोश	2585
6.	कुरी गोंगरी	2640
7.	अमोचू जलाशय	540

श्रीलंका

श्रीलंका में त्रिकोमाली क्षेत्र में 2X250 मेगावाट के कोयला आधारित बिजली संयंत्र को स्थापित करने के लिए त्रिकोमाली पावर क. लि. (टीपीसीएल) का गठन किया गया था।

इसके बाद, श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर, श्रीलंका में, सामपुर त्रिंकोमाली, में 50 मेगावाट का सोलर पी वी प्रोजेक्ट तथा कोलम्बो के निकट केरावलापितिया में 300 मेगावाट, एलएनजी परियोजना लगाने के लिए प्रस्ताव को संशोधित किया गया है।

केरावलापितिया, श्रीलंका में प्रस्तावित 300 मेगावाट एल एन जी पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए, 50:50 के आधार पर संयुक्त उपक्रम (जेवी) कम्पनी के निगमन के लिए एनटीपीसी लि. तथा सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के बीच कोलम्बो में दिनांक 25.10.2019 को संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहोल्डर करार (जेवीएसएचए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सामपुर, त्रिंकोनाली में, 50 मेगावाट के एक सोलर पी वी पावर प्रोजेक्ट को मौजूदा जे वी त्रिंकोनाली पावर कं. लि. द्वारा विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ख) : जब कभी ऐसी परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं, तो पड़ोसी देशों, जहां विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं/की जानी हैं, में प्रचलित संबद्ध नियमों/विनियमों का पालन किया जाता है। भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित लोगों की संपत्ति की हानि तथा जीविका की हानि के लिए संबंधित देशों, जहां ऐसी परियोजनाएं हैं/आने वाली हैं, के विद्यमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम/नीति दिशानिर्देश के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाती है।

(ग) : एनटीपीसी के संबंध में, दिनांक 01.01.2020 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है :

समूह	**अनुसूचित जाति (एससी)**	**अनुसूचित जनजाति (एसटी)**
क	04	08
ख	00	00
ग	05	157
घ	01	15

रिक्त पदों को दिनांक 31.12.2020 तक भरे जाने की संभावना है। समूह ग तथा समूह घ के रिक्त पदों का अधिकतर बैकलॉग सिपत में है जिसका कारण, लैंडआउसटीज (क्योंकि यहां, राज्यसरकार के साथ केवल लैंडआउसटीज की भर्ती करने का समझौता है) के बीच एस टी उम्मीदवारों की अनुपलब्धता तथा रामागुंजन, जहां भर्ती प्रक्रिया न्यायाधीन है।

जहां तक एनएचपीसी का संबंध है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है:

समूह	**एससी**	**एसटी**
क	12	15
ख	02	01
ग	-	-
घ	-	-

उपरोक्त रिक्तियों को आगामी भर्ती प्रक्रिया में भर दिया जाएगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-736

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत चालित वाहनों हेतु चार्जिंग अवसंरचना

736. श्री सुधकर तुकाराम श्रंगरेः

श्री भगवंत खुबाः

सुश्री प्रतिमा भौमिकः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विद्युत चालित वाहनों हेतु देश भर में चार्जिंग अवसंरचना आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) एवं (ख) : जी हाँ । राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में विद्युत चालित वाहनों (ईवी) हेतु चार्जिंग अवसंरचना को आरंभ करने के लिए भारत सरकार ने, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों और पणधारकों के साथ व्यापक परामर्श करके दिनांक 14.12.2018 को "विद्युत चालित वाहनों (ईवी) हेतु चार्जिंग अवसंरचना-दिशानिर्देश एवं मानक" जारी किए हैं जिनका दिनांक 01.10.2019 को पुनः संशोधन किया गया था।
संशोधित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

(i) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) की स्थापना हेतु किसी लाइसेंस अथवा मंजूरी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(ii) दिशा-निर्देशों में विभिन्न मानकों के चार्जरों की श्रेणियों को विनिर्दिष्ट किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीसीएस मालिक बाजार की जरूरतों के अनुसार, कोई एक या अलग-अलग चार्जरों के सम्मिश्रण को स्थापित करने के लिए स्वतंत्रत है।

(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को विद्युत चालित वाहनों हेतु चार्जिंग अवसंरचना के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नामित किया गया है।

(iv) ईवी - पीसीएस को विद्युत आपूर्ति हेतु प्रशुल्क का निर्धारण समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 के अंतर्गत प्रशुल्क नीति के अनुसार किया जाएगा।

(v) ऐसे मामलों में, जहां पीसीएस सरकारी प्रोत्साहनों (वित्तीय अथवा अन्य) द्वारा स्थापित किए गए हों, राज्य नोडल एजेंसी/राज्य सरकार/उपयुक्त आयोग ऐसे सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों द्वारा अदा किए जाने वाले सेवा प्रभारों की अधिकतम सीमा का निर्धारण करेगा।

(ग) : विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) चरण-I के तहत फेम- इंडिया स्कीम, भारी उद्योग विभाग ने बंगलौर, चंडीगढ़, जयपुर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगभग 43 करोड़ रुपयों के लगभग 500 चार्जिंग स्टेशनों/अवसंरचना की स्वीकृति प्रदान की है। इन 500 चार्जिंग स्टेशनों में से 250 चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं। हाल ही में, विभाग द्वारा फेम-

इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत, 24 राज्यों के 62 शहरों में 19 सार्वजनिक संस्थाओं को 2636 चार्जिंग स्टेशनों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

(ii) वर्ष 2019-22 के दौरान भारत में फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (फेम - इंडिया) स्कीम का चरण-II, मुख्यतः सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण को सहयोग देने पर ध्यान केन्द्रित करेगा और प्रोत्साहनों के माध्यम से लगभग 7000 ई-बसें, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री वाहनों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों को सहयोग देने के प्रति लक्षित करेगा। इसके अलावा, चार्जिंग अवसंरचना सृजन का विद्युत वाहनों के प्रयोगकर्ताओं की रेंज (दायरा) चिंता का समाधान करने के लिए सहयोग के लिए भी किया जाएगा।

(iii) विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरु की गई नवीनतम शुरुआतें निम्नानुसार हैं:

- विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- ईवी को खरीदने हेतु ऋण पर देय ब्याज राशि पर 1.5 लाख भारतीय रूपयों तक की आयकर छूट।
- विद्युत चालित वाहनों में उपयोग किए जाने वाले सभी पुर्जों (ई-ड्राइव असेंबली, ओन-बोर्ड चार्जर/ई-कंप्रेसर और चार्जिंग गन) पर सीमाशुल्क छूट।

(iv) सरकार ने 18 अक्तूबर, 2018 को बैटरी चालित परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से छूट भी प्रदान की है।

(v) ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल), हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम कार्यन्वित कर रही है अर्थात्, वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए विद्युत चालित वाहनों का उपयोग । अब तक, सरकारी संगठनों के लिए 1510 ई-कारों को लगाया गया है/लगाने की प्रक्रिया जारी है। इन ई-कारों की चार्जिंग के लिए उनके कार्यालय परिसरों में 300 एसी और 170 डीसी कैप्टिव चार्जरों को लगाया गया है।

(vi) **ग्रिड कनेक्टिविटी और सुरक्षा विनियमः** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सीईए के निम्न विनियमों का संशोधन जारी किया हैः

1. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरण उत्पादन संसाधनों से संयोजन के लिए तकनीकी मानक) संशोधन विनियम, 2019
2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) संशोधन विनयम, 2019

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-739

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

बिजली की बचत

739. श्री राकेश सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में एयर कंडीशनर अधिकतम बिजली की खपत करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिजली बचाने हेतु एयर कंडीशनरों में न्यूनतम तापमान तय कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त उपाय से बिजली की कितनी वार्षिक बचत होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का बिजली से चलने वाले अन्य उपकरणों के संबंध में भी ऐसे उपाय अपनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : "वर्ष 1947-2018 के दौरान भारत में विद्युत क्षेत्र के विकास" पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए) की रिपोर्ट के अनुसार देश में विद्युत की खपत सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र में होती है। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं अर्थात् घरेलू, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा वातानुकूलकों का प्रयोग किया जाता है। सी ई ए के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2017-18 के दौरान, वातानुकूलकों द्वारा खपत की गई विद्युत को शामिल करते हुए, श्रेणी-वार विद्युत खपत नीचे दर्शाई गई है:

श्रेणी	विद्युत खपत की प्रतिशतता (वर्ष 2017-18)
घरेलू	24.35%
वाणिज्यिक	8.35%
औद्योगिक	41.71%

(ख) एवं (ग) : राजपत्रित अधिसूचना एस. ओ. 3897 (ई) दिनांक 29 अक्टूबर, 2019 के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के परामर्श से यह अधिदेश जारी किया है कि भारत में निर्मित,

वाणिज्यिक रूप से खरीदे अथवा बेचे जाने वाले सभी ब्रैंड तथा सभी प्रकार के कमरे के वातानुकूलकों में 1 जनवरी, 2020 से तापमान की डिफाल्ट सेटिंग 24 डिग्री सैल्सियस होगी।

उक्त वर्णित डिफाल्ट सेटिंग के बावजूद, उपभोगकर्ताओं के पास वातानुकूलकों के तापमान को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करने का विकल्प होगा।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमान है कि उक्त उपायों से विद्युत की 10 बिलियन यूनिटों की वार्षिक बचत होने की संभावना है।

(घ) एवं (ड.) : वर्तमान में, विद्युत से चल रहे अन्य उपकरणों में ऐसे उपायों को अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो उपकरणों तथा उपयंत्रों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले उपकरणों और उपयंत्रों में ऊर्जा खपत मानक नियत किए गए हैं। इस समय, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 उपयंत्र आते हैं: 10 अनिवार्य नियम के अधीन हैं तथा शेष 14 स्वैच्छिक नियम के अधीन हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-753

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

753. श्री शान्तनु ठाकुरः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री कपिल मोरेश्वर पाटीलः
श्रीमती गीताबेन वी.राठवाः
श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ राज्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण में पिछड़ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) योजना के अंतर्गत अभी तक आंशिक रूप से विद्युतीकृत तथा पूर्णतया विद्युतीकृत गांवों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा अभी कवर किए जाने वाले गांवों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा अभी तक कितना लक्ष्य पूरा किया गया है और इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) ग्यारहवीं तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि् के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) द्वारा लिए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा ग्यारहवीं तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि् के दौरान अभी तक स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि कितनी है; और

(च) क्या डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत बीपीएल, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के परिवारों को विद्युत कनैक्शन प्रदान किए जा रहे हैं तथा यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : जैसा राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम जयोति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत 73% कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है।

(ख) एवं (ग) : जैसा राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, देशभर में सभी बसे हुए जनगणित गांवों का 28.04.2018 तक विद्युतीकरण हो गया है।

(घ) एवं (ड) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई), जो उस समय प्रचलित थी, जिसे बाद में डीडीयूजीजेवाई में शामिल कर लिया गया था, के अंतर्गत, राज्यों से प्राप्त परियेाजना प्रस्तावों तथा नोडल एजेंसी द्वारा की गई तकनीकी-आर्थिक समीक्षा के आधार पर, 11वीं योजना के दौरान 28,869 करोड़ रूपए की 570 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं तथा 31.12.2019 तक इन परियोजनाओं के विरूद्ध 22,854.20 करोड़ रूपए निर्मुक्त किए गए थे। 12वीं येाजना के दौरान, 23,735.60 करोड़ रूपए की 560 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं तथा 31.12.2019 के अनुसार इन परियोजनाओं के विरूद्ध 15,950.20 करोड़ रूपए निर्मुक्त किए गए थे। 11वीं एवं 12वीं योजना के दौरान स्वीकृत परियोजना लागत तथा निर्मुक्त अनुदान के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

(च) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, गत दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान क्रमश: 36,52,714 और 54,33,999 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के घरों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणियों सहित, को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

****

अनुबंध-I

11वीं और 12वीं योजना के दौरान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (आरई घटक सहित) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं तथा जारी अनुदान

31.12.2019 तक (करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	11वीं योजना			12वीं योजना		
		परियोजनाओं की सं.	परियोजना लागत	जारी किया गया अनुदान	परियोजनाओं की सं.	परियोजना लागत	जारी किया गया अनुदान
1	आंध्र प्रदेश	61	112.7	99.8	205	49.1	27.8
2	अरूणाचल प्रदेश	14	953.9	845.7	0	0	0
3	असम	20	2424.5	2203.4	16	1621.0	1158.8
4	बिहार	28	5076.6	3560.1	27	5251.5	3019.4
5	छत्तीसगढ़	24	1097.3	874.4	28	310.8	223.5
6	गुजरात	22	250.0	224.1	0	0	0
7	हरियाणा	17	134.3	104.2	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	11	258.8	222.3	0	0	0
9	जम्मू एवं कश्मीर	9	351.1	294.0	3	101.2	27.0
10	झारखंड	9	1524.8	1269.03	17	1260.9	922.1
11	कर्नाटक	10	365.5	331.1	45	130	53.9
12	केरल	13	179.3	160.1	15	5.3	1.24
13	लद्धाख	2	475.8	367.5	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	69	2385.6	1768.8	34	1427.3	941.7
15	महाराष्ट्र	31	594.2	521.3	0	0	0
16	मणिपुर	7	349.2	262.7	6	222.1	130.1
17	मेघालय	5	402.4	342.5	0	0	0
18	मिजोरम	6	181.2	162.6	8	74.0	58.4
19	नागालैंड	9	226.0	201.5	11	92.0	54.7
20	ओडिशा	28	3133.8	2720.3	38	3548.7	2589.5
21	पंजाब	17	34.9	51.43	0	0	0
22	राजस्थान	15	732.3	642.5	28	1453.1	1062.1
23	सिक्किम	2	121.7	105.6	0	0	0
24	तमिलनाडु	29	365.3	319.2	0	0	0
25	तेलंगाना	44	117.5	92.8	0	0	0
26	त्रिपुरा	3	141	127	8	313.6	246.1
27	उत्तर प्रदेश	47	4541.6	3105.7	64	7266.0	4989.5
28	उत्तराखंड	2	5.0	3.3	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	16	2274.1	1870.1	7	607.6	443.6
कुल		**570**	**28811.50**	**22854.20**	**560**	**23735.60**	**15950.20**

****

अनुबंध-II

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत पिछले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2017-2018 तथा वर्ष 2018-2019 में बीपीएल घरों को उपलब्ध कराए गए नि:शुल्क विद्युत सर्विस कनेक्शन

क्रमसं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	301200	11760
2	अरूणाचल प्रदेश	1892	6399
3	असम	245999	514281
4	बिहार	917057	859652
5	छत्तीसगढ़	78933	34006
6	गुजरात	4440	620
7	हरियाणा	0	5419
8	हिमाचल प्रदेश	0	43
9	जम्मू एवं कश्मीर	97	50579
10	झारखंड	158175	507998
11	कर्नाटक	87018	190869
12	केरल	108327	3112
13	लद्धाख	0	1857
14	मध्य प्रदेश	272095	343899
15	महाराष्ट्र	4392	382047
16	मणिपुर	2784	46015
17	मेघालय	2544	0
18	मिजोरम	285	1183
19	नागालैंड	5223	54971
20	ओडिशा	183685	1384305
21	राजस्थान	166884	164042
22	सिक्किम	0	3421
23	तमिलनाडु	22297	7
24	तेलंगाना	16909	522397
25	त्रिपुरा	31416	22947
26	उत्तर प्रदेश	1010062	297115
27	उत्तराखंड	46	7205
28	पश्चिम बंगाल	30954	17850
कुल		**3652714**	**5433999**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-764

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

ग्रिड नेटवर्क का विस्तार

764. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में ग्रिड नेटवर्क के विस्तार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) कुंदनकुलम-थिरुनेलवेली-इदमॉन-कोच्चि 400 के.वी. लाइन के शुरू करने की प्रस्तावित तिथि क्या है;

(घ) इस परियोजना से केरल सहित प्रत्येक राज्य को आबंटित विद्युत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना पर व्यय की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हां, देश में विद्युत उत्पादन और भार की संवृधि की देख-रेख के लिए विद्युत ग्रिड नेटवर्क का सतत आधार पर विस्तार किया जा रहा है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) तैयार करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, देश में अपेक्षित पारेषण प्रणाली का परिवर्धन शामिल है। जनवरी, 2019 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना, खंड II (पारेषण) द्वारा वर्ष 2017-22 की अवधि के लिए अपेक्षित पारेषण प्रणाली परिवर्धन का आकलन किया गया है। इस योजना के अनुसार, वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान लगभग 1,10,000 सीकेएम पारेषण लाइनें, 220 केवी तथा उससे अधिक वोल्टेज स्तर के सब-स्टेशनों में लगभग 3,83,000 मेगावाट रूपांतरण क्षमता और एचवीडीसी बाइपोल/बैक-टू-बैक क्षमता के 14,000 मेगावाट जोड़ने का प्रस्ताव है।

दिसम्बर 2019 तक 4,21,244 सीकेएम की पारेषण लाइनें (220 केवी तथा उससे अधिक वोल्टेज स्तर) और 9,52,713 एमवीए के सब स्टेशनों (220 केवी तथा उससे अधिक वोल्टेज स्तर) में रूपांतरण क्षमता प्रचालन में है जिनकी वर्ष 2021-22 तक क्रमशः 4,78,132 सीकेएमएस और 11,04,955 एमवीए तक बढ़ाए जाने की संभावना है। इसके अलावा, दिसंबर, 2019 तक 24,000 एमवी एचवीडीसी बाइपोल/बैक-टू-बैक क्षमता प्रचालन में है, जिनकी वर्ष 2021-22 तक 33,500 एमवी तक बढ़ाए जाने की संभावना है। इसमें 220 केवी तथा उससे अधिक वोल्टेज स्तर की अंतर-राज्यीय तथा अंतःराज्यीय पारेषण प्रणालियां शामिल हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रिड की संचयी अंतर क्षेत्रीय (आईआर) पारेषण क्षमता, जो वर्तमान में लगभग 1,00,550 मेगावाट है, को वर्ष 2022 तक 1,18,050 मेगावाट तक बढ़ाए जाने की संभावना है।

(ग) : कुडंकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (केएपीपी) (2000 एमवी) पारेषण प्रणाली के भाग के रूप में कुडंकुलम-तिरुनलवेली, तिरुनलवेली-इडमन, तिरुनलवेली- कोचीन 400 केवी डी/सी लाइनें योजित तथा कार्यान्वित की गई थीं। इन लाइनों को शुरू करने की तिथियां निम्नानुसार हैं

कुडंकुलम- तिरुनलवेली 400 केवी (क्वाड) 2xडी/सी लाइनें- 01.04.2019

तिरुनलवेली- इडमन 400 केवी डीसी लाइन (220 केवी पर प्रचालित)- 01.07.2010

तिरुनलवेली- कोचीन 400 केवी (क्वाड) सर्किट-I और II- 27.09.2019 और 20.12.2019

(घ) : किसी विशिष्ट पारेषण लाइन से राज्यों को विद्युत आबंटित नहीं की जाती। तथापि, विद्युत का आबंटन किसी विशेष उत्पादन स्टेशन से होता है जो कि राज्य को अंतर्राज्यीय पारेषण लाइन द्वारा दिया जाता है।

(ङ.) : ऊपर पैरा (ग) में उल्लिखित लाइनों का कुल संभावित व्यय लगभग 1545.0 करोड़ रूपये है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-780

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

अरुणाचल प्रदेश में पारेषण लाइन

780. श्री तापिर गावः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014-15 में मंजूर की गई अरुणाचल प्रदेश की 132 केवी पारेषण लाइन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या अरुणाचल प्रदेश में उक्त पारेषण लाइन को पूरा करने के लिए पॉवर ग्रिड को कार्य दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक पूरा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए आबंटित समय-सीमा क्या है;

(ङ) उक्त परियोजना में विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) एवं (ख) : भारत सरकार द्वारा ''अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण एवं वितरण के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक स्कीम'' को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था, जिसकी अनुमानित लागत 4754.42 करोड़ रूपए थी, जिसे प्रथम किश्त निर्मुक्त करने की तिथि से 48 माह में पूर्ण करना नियत किया गया था। यह स्कीम अन्य बातों के साथ-साथ 3199.45 करोड़ रूपए के परिव्यय से अरूणाचल प्रदेश में पारेषण लाईनों तथा 220 के.वी., 132 के.वी., 66 के.वी. तथा 33 के.वी. वाल्टेज लेवल के उपकेन्द्रों के निर्माण की परिकल्पना करती है। इस परियोजना के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पावरग्रिड) को अभिकल्प-सह-कार्यान्वयन पर्यवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। अरूणाचल प्रदेश में व्यापक स्कीम के 132 के.वी. पारेषण लाईन अवयवों की विस्तृत स्थिति **अनुबंध-।** में संलग्न की गई है।

(ग), (घ), (ङ) एवं (च) : व्यापक स्कीम के अंतर्गत अरूणाचल प्रदेश में अवार्ड की गई विभिन्न पृथक 132 के.वी. पारेषण लाईन अवयवों पर कार्य प्रगति पर है, जैसा कि अनुबंध-। में दी गई विस्तृत स्थिति से दृष्टव्य है। उक्त स्कीम को दिसम्बर 2018 (प्रथम किश्त के निर्मुक्त होने की तिथि से 48 माह) तक पूर्ण करना नियत किया गया था। उक्त स्कीम में प्रमुखत: निम्नलिखित कारणों से देरी हो रही है :

i. बोलीकर्ताओं की कमजोर प्रतिक्रिया के कारण संविदाएं अवार्ड करने में हो रही देरी।
ii. मार्ग का अधिकार तथा क्षतिपूर्ति मुद्दे।
iii. वन्य मंजूरी प्राप्त करने में होने वाली देरी।
iv. उप-केंद्र निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने में होने वाली देरी।

उक्त वर्णित विलम्ब के कारण, परियोजना के लागत अनुमान में संशोधन हुआ है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है। इस परियोजना को जुलाई, 2021 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

****

अरूणाचल प्रदेश में 132 केवी पारेषण लाइनों की विस्तृत स्थिति (दिनांक 31.12.2019 के अनुसार स्थिति)

1. डी/सी टावर पर लिकाबाली - निगलोक 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	66.05
टावर की स्थिति (सं.)	:	228
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	63
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	23
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	दिसम्बर 2020

बाधा यदि कोई हो तो : मार्गाधिकार के मुद्दों के कारण कार्य प्रभावित । वन मंजूरी प्रतिक्षित।

2. डी/सी टावर पर पासीघाट पुराना - मरियांग 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	48
टावर की स्थिति (सं.)	:	157
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	4
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	3
तार खींचने का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	दिसम्बर 2020

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी प्रतिक्षित।

टिप्पणी: मार्ग संरेखण को मंजूरी दी है और विस्तृत सर्वेक्षण मंजूर। नींव कार्य और टावर निर्माण शुरू ।

3. डी/सी टावर पर निगलोक - पासीघाट न्यू (नापित) 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	20.49
टावर की स्थिति (सं.)	:	75
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	47
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	2
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2020

बाधा यदि कोई हो तो : मार्गाधिकार के मुद्दों के कारण कार्य प्रभावित

4. डी/सी टावर पर पासीघाट न्यू (नापित) - पासीघाट ओल्ड 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	13.12
टावर की स्थिति (सं.)	:	47
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	24
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	5
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	दिसम्बर, 2020

बाधा यदि कोई हो तो : मार्गाधिकार के मुद्दों के कारण कार्य प्रभावित । चरण-I मंजूरी प्राप्त।

टिप्पणी : मार्गाधिकार मुद्दों के कारण नींव कार्य में धीमी गति।

5. डी/सी टावर पर सेप्पा - रिलो 132 एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	35.14
टावर की स्थिति (सं.)	:	140
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी प्रतीक्षित। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणी : मार्ग सर्वेक्षण स्वीकृत और सब स्टेशनों को छोड़कर विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण। नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

6. डी/सी टावर पर रिलो - सैजोसा 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	44.33
टावर की स्थिति (सं.)	:	273
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी प्रतीक्षित। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणी: मार्ग सर्वेक्षण स्वीकृत और विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण। नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

7. डी/सी टावर पर सागली - नाहरलगुन 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	38.57
टावर की स्थिति (सं.)	:	112
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी प्रतीक्षित। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणी: नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

8. डी/सी टावर पर नाहरलगुन - बंडेरदेवा 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	16.75
टावर की स्थिति (सं.)	:	85
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी प्रतीक्षित। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणी : मार्ग संरेखण को मंजूरी दी है और विस्तृत सर्वेक्षण मंजूर।

9. डी/सी टावर पर चिंपू (ईटानगर) - होलोंगी 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	15
टावर की स्थिति (सं.)	:	59
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	दिसम्बर 2020

बाधा यदि कोई हो तो : नवंबर, 2019 को चरण-**I** मंजूरी प्राप्त हुई। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणीः मार्ग संरेखण और विस्तृत सर्वेक्षण मंजूर। नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

10. डी/सी टावर पर रिलो - सागली 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	33
टावर की स्थिति (सं.)	:	143
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	दिसम्बर 2020

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी प्रतिक्षित। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणीः मार्ग सर्वेक्षण अनुमोदित और विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण। नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

11. डी/सी टावर पर गेरुकामुख - लिकाबाली 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	60
टावर की स्थिति (सं.)	:	205
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी प्रतीक्षित। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणी: मार्ग संरेखण स्वीकृत और विस्तृत सर्वेक्षण अनुमोदित। नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

12. डी/सी टावर पर नाहरलगुन - गेरुकामुख 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	90.58
टावर की स्थिति (सं.)	:	305
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी प्रतीक्षित। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणी: मार्ग संरेखण स्वीकृत और विस्तृत सर्वेक्षण लगभग पूर्ण। नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

13. डी/सी टावर पर जयरामपुर - मायो 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	34
टावर की स्थिति (सं.)	:	121
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	दिसम्बर, 2020

बाधा यदि कोई हो तो : टिप्पणी सितम्बर, 2019 में चरण-**I** वन मंजूरी प्राप्त हुई।

टिप्पणी: नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

14. डी/सी टावर पर तवांग - लुमला 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	40
टावर की स्थिति (सं.)	:	136
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)		शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन में 100**%** लाइन।

टिप्पणी : मार्ग संरेखण प्रस्तुत। विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण।

15. डी/सी टावर पर कुप्पी - सेप्पा 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	60
टावर की स्थिति (सं.)	:	202
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन में 100**%** लाइन।

टिप्पणी : मार्ग संरेखण स्वीकृत। विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण।

16. डी/सी टावर पर सेप्पा - बमेंग 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	40
टावर की स्थिति (सं.)	:	138
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन में 100**%** लाइन।

टिप्पणी : मार्ग संरेखण स्वीकृत। विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण।

17. देवमाली-खोनसा 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	29.5
टावर की स्थिति (सं.)	:	83
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	जून, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : पक्षकार एनसीएलटी गए। तदुपरांत संविदा रदद् कर दी गई। पुनः निविदा कार्य प्रगति पर है। वन मंजूरी प्रतीक्षित।

18. खोनसा-चंगलंग 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	45
टावर की स्थिति (सं.)	:	155
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	जून, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : पक्षकार एनसीएलटी गए। तदुपरांत संविदा रदद् कर दी गई। पुनः निविदा कार्य प्रगति पर है।

19. डी/सी टावर पर खोनसा - लोंगडिंग 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	45
टावर की स्थिति (सं.)	:	152
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	जून, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : पक्षकार एनसीएलटी गए। तदुपरांत संविदा रदद् कर दी गई। पुनः निविदा कार्य प्रगति पर है।

20. डी/सी टावर पर मायो - नमसाई (पीजी) 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	41.1
टावर की स्थिति (सं.)	:	137
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	जून, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : पक्षकार एनसीएलटी गए। तदुपरांत संविदा रदद् कर दी गई। पुनः निविदा कार्य प्रगति पर है। वन मंजूरी प्रतीक्षित।

21. चंगलंग-जयरामपुर 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	60
टावर की स्थिति (सं.)	:	205
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	जून, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : पक्षकार एनसीएलटी गए। तदुपरांत संविदा रदद् कर दी गई। पुनः निविदा कार्य प्रगति पर है।

22. 132 केवी डी/सी जीरो (पीजी) - जीरो (न्यू) लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	12
टावर की स्थिति (सं.)	:	32
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	अगस्त, 2020

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी प्रतीक्षित। वन में 100**%** लाइन।

टिप्पणी : मार्ग संरेखण स्वीकृत। विस्तृत सर्वेक्षण अनुमोदित।

23. 132 केवी डपोरिजो-अलोंग लाइन का एलआईएलाओ

लाइन की लंबाई (किमी)	:	2.43
टावर की स्थिति (सं.)	:	12
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	अगस्त, 2020

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी प्रतीक्षित। वन में 100**%** लाइन।

टिप्पणी : मार्ग संरेखण और विस्तृत सर्वेक्षण अनुमोदित ।

एआरपी-टीडब्ल्यू-13: संशोधित लागत प्राक्कलन (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने से रुके हुए हैं।

24. डी/सी टावर पर जीरो (पीजी) - पलिन 132 केवी एस/सी लाइन

25. डी/सी टावर पर पलिन - कोलोरिआंग 132 केवी एस/सी लाइन

26. डी/सी टावर पर डपोरिजो - नाचो 132 केवी एस/सी लाइन

एआरपी-टीडब्ल्यू-21: आरसीई का अनुमोदन लंबित होने से रुके हुए हैं।

27. डी/सी टावर पर तेजू (पीजी) - हलाईपानी 132 केवी एस/सी लाइन

28. डी/सी टावर पर रोइंग (पीजी) - डंबुक 132 केवी एस/सी लाइन

29. डी/सी टावर पर रोइंग (पीजी) - अनिनि 132 केवी एस/सी लाइन

एआरपी-टीडब्ल्यू-24:

अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित नए घटक (2 लाइन और 4 सब स्टेशन) पहले ही अवार्ड किए जा चुके हैं और आरईसी अनुमोदन लंबित होने के कारण रुके हुए हैं :

30. डी/सी टावर पर खुपी - बोमडिला 132 केवी एस/सी लाइन
31. डी/सी टावर पर बोमडिला - तवांग 132 केवी एस/सी लाइन
32. बोमडिला एसएस
33. कलकथांग एसएस
34. तवांग एसएस
35. कुप्पी (विस्तार) एसएस

एआरपी-टीडब्ल्यू -26: आरसीई का अनुमोदन लंबित होने से रुके हुए हैं।

36. डी/सी टावर पर अलोंग - कमबांग 132 केवी एस/सी लाइन
37. डी/सी टावर पर कमबंग - मेचुका 132 केवी एस/सी लाइन
38. डी/सी टावर पर अलोंग- यिंगकियोंग 132 केवी एस/सी लाइन
39. डी/सी टावर पर यिंगकियोंग - टुटिंग 132 केवी एस/सी लाइन

****

अनुबंध-I

अरूणाचल प्रदेश में 132 केवी पारेषण लाइनों की विस्तृत स्थिति (दिनांक 31.12.2019 के अनुसार)

40. लिकाबाली-डी/सी टावर पर निगलोक 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	66.05
टावर की स्थिति (सं.)	:	228
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	63
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	23
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	दिसम्बर 2020

बाधा यदि कोई हो तो : मार्गाधिकार के मुद्दों के कारण प्रभावित कार्य। वन मंजूरी अभी प्राप्त होनी है।

41. पासीघाट पुराना - डी/सी टावर पर पासीघाट पुराना - मरियांग 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	48
टावर की स्थिति (सं.)	:	157
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	4
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	3
तार खींचने का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	दिसम्बर 2020

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी अभी प्राप्त होनी है।

टिप्पणी: मार्ग समरेखा को मंजूरी दी है और विस्तृत सर्वेक्षण मंजूर। नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

42. निगलोक-डी/सी टावर पर पासीघाट न्यू (नापित) 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	20.49
टावर की स्थिति (सं.)	:	75
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	47
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	2
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2020

बाधा यदि कोई हो तो : मार्गाधिकार के मुद्दों के कारण प्रभावित कार्य

43. पासीघाट न्यू (नापित)-डी/सी टावर पर पासीघाट ओल्ड 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	13.12
टावर की स्थिति (सं.)	:	47
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	24
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	5
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	दिसम्बर, 2020

बाधा यदि कोई हो तो : मार्गाधिकार के मुद्दों के कारण प्रभावित कार्य। चरण-I मंजूरी प्राप्त।

टिप्पणी : मार्गाधिकार मुद्दों के कारण नींव कार्य में धीमी गति।

44. सेप्पा-डी/सी टावर पर रिलो 132 एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	35.14
टावर की स्थिति (सं.)	:	140
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी अभी प्राप्त होनी है। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणी : मार्ग सर्वेक्षण स्वीकृत और सब स्टेशनों को छोड़कर विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण। नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

45. रिलो-डी/सी टावर पर सैजोसा 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	44.33
टावर की स्थिति (सं.)	:	273
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी अभी प्राप्त होनी है। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणी: मार्ग सर्वेक्षण स्वीकृत और विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण। नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

46. सागली-डी/सी टावर पर नाहरलगुन 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	38.57
टावर की स्थिति (सं.)	:	112
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी अभी प्राप्त होनी है। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणी: नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

47. नाहरलगुन-डी/सी टावर पर बंडेरदेवा 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	16.75
टावर की स्थिति (सं.)	:	85
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी अभी प्राप्त होनी है। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणी : मार्ग समरेखा को मंजूरी दी है और विस्तृत सर्वेक्षण मंजूर।

48. चिंपू (ईटानगर)-डी/सी टावर पर होलोंगी 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	15
टावर की स्थिति (सं.)	:	59
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	दिसम्बर 2020

बाधा यदि कोई हो तो : नवंबर, 2019 को चरण-**I** मंजूरी प्राप्त हुई। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणीः मार्ग समरेखा को मंजूरी दी है और विस्तृत सर्वेक्षण मंजूर। नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

49. रिलो-डी/सी टावर पर सागली 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	33
टावर की स्थिति (सं.)	:	143
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	दिसम्बर 2020

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी अभी प्राप्त होनी है। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणीः मार्ग संरेखा को मंजूरी दी है और विस्तृत सर्वेक्षण मंजूर। नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

50. गेरुकामुख-डी/सी टावर पर लिकाबाली 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	60
टावर की स्थिति (सं.)	:	205
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी अभी प्राप्त होनी है। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणी: मार्ग सर्वेक्षण स्वीकृत और विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण। नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

51. नाहरलगुन-डी/सी टावर पर गेरुकामुख 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	90.58
टावर की स्थिति (सं.)	:	305
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी अभी प्राप्त होनी है। वन में 100**%** लाइन

टिप्पणी: मार्ग सर्वेक्षण स्वीकृत और विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण। नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

52. जयरामपुर-डी/सी टावर पर मायो 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	34
टावर की स्थिति (सं.)	:	121
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	दिसम्बर, 2020

बाधा यदि कोई हो तो : सितम्बर, 2019 में चरण**-I** वन मंजूरी प्राप्त की गई।

टिप्पणी: नींव कार्य अभी शुरू किया जाना है।

53. तवांग-डी/सी टावर पर लुमला 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	40
टावर की स्थिति (सं.)	:	136
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)		शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन में 100**%** लाइन।

टिप्पणी : मार्ग संरेखा प्रस्तुत। विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण।

54. कुप्पी-डी/सी टावर पर सेप्पा 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	60
टावर की स्थिति (सं.)	:	202
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन में 100**%** लाइन।

टिप्पणी : मार्ग संरेखा स्वीकृत। विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण।

55. सेप्पा-डी/सी टावर पर बमेंग 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	40
टावर की स्थिति (सं.)	:	138
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	मार्च, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : वन में 100**%** लाइन।

टिप्पणी : मार्ग संरेखा स्वीकृत। विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण।

56. देवमाली-खोनसा 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	29.5
टावर की स्थिति (सं.)	:	83
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	जून, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : पक्षकार एनसीएलटी गए। तदुपरांत संविदा रदद् कर दी गई। पुनः निविदा प्रगति पर है। वन मंजूरी दी जानी है।

57. खोनसा-चंगलंग 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	45
टावर की स्थिति (सं.)	:	155
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	जून, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : पक्षकार एनसीएलटी गए। तदुपरांत संविदा रदद् कर दी गई। पुनः निविदा प्रगति पर है।

58. खोनसा-डी/सी टावर पर लोंगडिंग 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	45
टावर की स्थिति (सं.)	:	152
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	जून, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : पक्षकार एनसीएलटी गए। तदुपरांत संविदा रदद् कर दी गई। पुनः निविदा प्रगति पर है।

59. मायो-डी/सी टावर पर नमसाई (पीजी) 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	41.1
टावर की स्थिति (सं.)	:	137
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	जून, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : पक्षकार एनसीएलटी गए। तदुपरांत संविदा रदद् कर दी गई। पुनः निविदा प्रगति पर है। वन मंजूरी दी जानी है।

60. चंगलंग-जयरामपुर 132 केवी एस/सी लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	60
टावर की स्थिति (सं.)	:	205
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	जून, 2021

बाधा यदि कोई हो तो : पक्षकार एनसीएलटी गए। तदुपरांत संविदा रदद् कर दी गई। पुनः निविदा प्रगति पर है।

61. जीरो (पीजी)-132 केवी डी/सी जीरो (न्यू) लाइन

लाइन की लंबाई (किमी)	:	12
टावर की स्थिति (सं.)	:	32
नींव का कार्य पूरा (सं.)	:	शून्य
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	अगस्त, 2020

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी दी जानी है। वन में 100**%** लाइन।

टिप्पणी : मार्ग संरेखा स्वीकृत। विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण।

62. 132 केवी डपोरिजो-अलोंग लाइन का लीलो

लाइन की लंबाई (किमी)	:	2.43
टावर की स्थिति (सं.)	:	12
खड़े किए गए टावर (सं.)	:	शून्य
तार खींचने का कार्य पूरा (किमी)	:	शून्य
पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि	:	अगस्त, 2020

बाधा यदि कोई हो तो : वन मंजूरी दी जानी है। वन में 100**%** लाइन।

टिप्पणी : मार्ग संरेखा स्वीकृत। विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण।

एआरपी-टीडब्ल्यू-13: संशोधित लागत प्राक्कलन (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने से रुके हुए है।

63. जीरो (पीजी)-डी/सी टावर पर पलिन 132 केवी एस/सी लाइन

64. पलिन-डी/सी टावर पर कोलोरिआंग 132 केवी एस/सी लाइन

65. डपोरिजो-डी/सी टावर पर नाचो 132 केवी एस/सी लाइन

एआरपी-टीडब्ल्यू-21: आरसीई का अनुमोदन लंबित होने से रुके हुए है।

66. तेजू (पीजी)-डी/सी टावर पर हलाईपानी 132 केवी एस/सी लाइन

67. रोइंग (पीजी)-डी/सी टावर पर डंबुक 132 केवी एस/सी लाइन

68. रोइंग (पीजी)-डी/सी टावर पर अनिनि 132 केवी एस/सी लाइन

एआरपी-टीडब्ल्यू-24:

अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित नई घटक (2 लाइन और 4 सब स्टेशन) को अवार्ड किया गया और आरईसी से अनुमोदन लंबित होने से वह रुके हुए है :

69. खुपी-डी/सी टावर पर बोमडिला 132 केवी एस/सी लाइन

70. बोमडिला-डी/सी टावर पर तवांग 132 केवी एस/सी लाइन

71. बोमडिला एसएस

72. कलकथांग एसएस

73. तवांग एसएस

74. कुप्पी (विस्तार) एसएस

एआरपी-टीडब्ल्यू -26: आरसीई का अनुमोदन लंबित होने से रुके हुए है।

75. अलोंग-डी/सी टावर पर कमबांग 132 केवी एस/सी लाइन

76. कमबंग-डी/सी टावर पर मेचुका 132 केवी एस/सी लाइन

77. अलोंग-डी/सी टावर पर यिंगकियोंग 132 केवी एस/सी लाइन

78. यिंगकियोंग-डी/सी टावर पर टुटिंग 132 केवी एस/सी लाइन

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-818

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

उज्जवल डिसकॉम एश्योरेंस योजना

818. डॉ. शशि थरूरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नवम्बर 2015 में शुरू की गई उज्जवल डिसकॉम एश्योरेंस योजना (उदय) वित्तीय परिवर्तन और राज्य के स्वामित्व वाली ऋणग्रस्त भारत की बिजली वितरण कम्पनियों के पुनरुद्धार के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आपूर्ति की औसत लागत और वसूले गए औसत राजस्व के बीच अंतर को शून्य तक कम करने में कितने राज्य सफल हुए हैं;

(ग) क्या सरकार की उज्जवल डिसकॉम एश्योरेंस योजना (उदय) 2.0 शुरू करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का डिसकॉम द्वारा अल्पकालीन ऋणों की निगरानी, उनको नियमित रूप से भुगतान और एक कार्य-प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का विचार है ताकि कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) नुकसान को मापा जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) एवं (ख) : उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत, कुल तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानि तथा आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) - वसूले गए औसत राजस्व (एआरआर) अंतराल दो महत्वपूर्ण परिणामी मानदण्ड हैं। वित्तीय वर्ष 16 के लिए उदय राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए एटीएण्डसी हानि तथा एसीएस - एपीआर अंतराल क्रमशः 23.96% तथा 48 पैसा प्रति यूनिट था। उपलब्ध लेखा-परीक्षित/प्रमाणित आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 18 के लिए एटीएण्डसी तथा एसीएस-एआरआर अंतराल क्रमशः 22.31% तथा 30 पैसे प्रति यूनिट है तथा उदय पोर्टल पर राज्यों द्वारा प्रदान किए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 19 के लिए एटीएण्डसी तथा एसीएस-एआरआर अंतराल, क्रमशः 18.19% तथा 27 पैसे प्रति यूनिट है। सात (07) राज्यों नामतः असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा राजस्थान ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में एसीएस-एआरआर अंतराल शून्य अथवा उससे बेहतर सूचित किया है।

(ग) एवं (घ) : चूंकि, विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है, वितरण यूटिलिटियों के परिचालन और वित्तीय दक्षताओं सहित विद्युत का वितरण राज्यों द्वारा देखा जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट अभिभाषण के माध्यम से अपने वित्तीय दवाबों के मद्देनजर डिस्कॉम सुधारों को जारी रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है।

(ड.) एवं (च) : डिस्कॉम के निष्पादन की निगरानी एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी वित्तीय एवं परिचालन दक्षता मानदण्डों की निगरानी शामिल है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सभी संबंधित पणधारियों को अगस्त, 2018 में एटीएण्डसी हानियों की गणना के लिए मानक कार्यप्रणाली का परिचालन किया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-859

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

महाराष्ट्र में गांवों का विद्युतीकरण

859. श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के गांवों में विद्युतीकरण हेतु कितनी निधि् आबंटित की गई है;

(ख) महाराष्ट्र के कितने गांवों में विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है और विद्युतीकरण से वंचित गांवों में कब तक विद्युतीकरण किए जाने की योजना है; और

(ग) महाराष्ट्र में किए गए विद्युतीकरण का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत किसी भी राज्य को निधियों का किसी भी प्रकार का अग्रिम आवंटन नहीं किया है। स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पिछली किस्त(ओं) की धनराशि के समुपयोजन तथा स्कीम की निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। गत तीन वर्षों अर्थात् 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को 882 करोड़ रूपए का अनुदान संवितरित कर दिया गया है।

(ख) एवं (ग) : महाराष्ट्र राज्य ने सूचित किया है कि 28.04.2018 तक सभी बसे हुए संगणित गांवों का विद्युतीकरण हो गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-862

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

सौभाग्य

862. श्री नामा नागेश्वर रावः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य ने सभी घरों का सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत नए सिरे से निधि आबंटन का विचार है क्योंकि कई विद्युतरहित घर बिजली कनेक्शन लेने के इच्छुक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसे विद्युतरहित घरों के विद्युतीकरण हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ.) : भारत सरकार ने, पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों के लिए अंतिम मील तक कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन प्रदान कराते हुए, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य को अक्तूबर, 2017 में प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ के एलडब्ल्यूई प्रभावित बस्तर क्षेत्र में कुछ घरों को छोड़कर, सभी राज्यों ने 31 मार्च, 2019 तक सौभाग्य पोर्टल पर सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है।

तदनुसार, सात राज्यों ने 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों की सूचना दी है जोकि पहले इच्छुक नहीं थे, परंतु बाद में, बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए थे, की पहचान 31 मार्च, 2019 से पहले कर ली गई। राज्यों को सौभाग्य के तहत इन घरों के विद्युतीकरण के लिए कहा गया है। इनमें से, 10,71,336 घरों को 31 जनवरी, 2020 तक विद्युतीकृत कर दिया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-867

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

एनएचपीसी में वेतनमान संबंधी विसंगतियां

867. श्री संतोष कुमारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 01.01.1997 के प्रभाव से मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) में कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों के वेतनमान के कार्यान्वयन में विसंगतियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं तथा तत्संबंधी निवारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त विसंगतियों को हटाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : सरकार ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 04.04.2006 के आदेश के अनुसरण में 01.01.1997 से एनएचपीसी लिमिटेड में बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों के नियमन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है **(अनुबंध-I)**। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 29.01.2019 के पत्र के तहत निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए एनएचपीसी लिमिटेड को निदेश दे दिए गए थे **(अनुबंध-II)**। एनएचपीसी ने दिनांक 19.03.2019 के एनएचपीसी के कार्यालय आदेश द्वारा सरकार के निर्णय को लागू कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप वेतन की विसंगतियां समाप्त हो गई हैं।

****

<u>अनुबंध-I</u>

लोक सभा में दिनांक 06.02.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सं. 11/6/2006-डीओ (एनएचपीसी)
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक: 4.4.2006

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी)
सेक्टर 33, फरीदाबाद।

विषय: पर्यवेक्षक श्रेणी (एस-2/एस-3) से कार्यपालक श्रेणी (ई-1) और उससे ऊपर की श्रेणी में प्रोन्नत कर्मचारियों के वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने के लिए एनएचपीसी के बोर्ड का प्रस्ताव।

महोदय,

मुझे निदेशक (कार्मिक), एनएचपीसी के दिनांक 24.02.2006 के अर्धशासकीय पत्र सं. पीडब्ल्यूए-471 (खंड-5)/24 जिसके साथ दिनांक 17.02.2006 को आयोजित एनएचपीसी बोर्ड की 264वीं बैठक की कार्यसूची और उसके कार्यवृत्त जिसमें उपर्युक्त विषय पर विचार-विमर्श किया गया था और प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय के विचारार्थ भेजने का निर्णय लिया गया था, की प्रति भेजी गई थी, का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों के संशोधन के लिए एनएचपीसी के प्रस्ताव पर इस मंत्रालय में विचार किया गया है। एनएचीपीसी के बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों में विसंगति को दूर करने को ध्यान में रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जहां तक न्यायमूर्ति एस. मोहन समिति के दिनांक 25 जून, 1999 के कार्यालय ज्ञापन 2(49)/98-डीपीई (डब्ल्यूसी) की सिफारिशों के आधार पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अनुसार वेतनमानों की रेंज का संबंध है, वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने तथा एनएचपीसी के बोर्ड द्वारा विचार किए जाने पर अनुबंध में उल्लिखित अनुसार संशोधित वेतनमानों को अपनाने में इस मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है।

3. इसी बीच, इस मंत्रालय द्वारा इस संबंध में डीपीई को पत्र भेज दिया गया है।

भवदीय,

ह./-
(ए.के. कुट्टी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुबंध

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यपालकों के वेतनमानों का संशोधन

ग्रेड कोड	**डीपीई के मॉडल वेतनमान (मोहन समिति की सिफारिशें)**	**ग्रेड कोड**	**एनएचपीसी के मौजूदा वेतनमान**	**अब प्रस्तावित वेतनमान**
	1.1.1997 से		1.1.1997 से	
ई-0	6500-200-11350		विद्यमान नहीं	
ई-1	8600-250-14600	ई-1	8000-225-13400	8000-290-300-330(2)-350-360-370-390-410-420-440-460-470-480-13400
ई-2	10750-300-16750	ई-2	8600-250-14600	8600-330(2)-350-370-380-400-420-430-450-470-490-510-530-540-14600
		ई-2ए	10750-300-16750	10750-420-430-450-470-490(2)-530-540(3)-550(2)-16750
ई-3	13000-350-18250	ई-3	14500-350-18700	13750-550-575-600-610-620-625-685(2)-18700
ई-4	14500-350-18700	ई-4	16000-400-20800	16000-660-685(4)-700(2)-20800
ई-5	16000-400-20800	ई-5	17500-400-22300	17500-630-685(2)-700(4)-22300
ई-6	17500-400-22300	ई-6	18500-450-23900	18500-700(2)-730-750-780-850-890-23900
ई-7	18500-450-23900	ई-7	20000-475-25700	19500-750-810-845-880-910-945-960-25600
ई-8	20500-500-26500	ई-8	20500-500-26500	20500-670(2)-850-900-950-980-980(2)-26500
ई-9	23750-600-28550	ई-9	23750-600-28550	23750-900-950-980(2)-990-28550

****

<u>अनुबंध-II</u>

लोक सभा में दिनांक 06.02.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

<u>अति तत्काल</u>

फाइल सं. 2/1/2014-एच.1 (पार्ट)
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक: 29 जनवरी, 2019

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, फरीदाबाद।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नीपको, शिलांग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएनएल, शिमला	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल, ऋषिकेश

विषय:- एनएचपीसी लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड तथा एसजेवीएन लिमिटेड में बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों का 01.01.1997 से नियमन - के संबंध में।

महोदय,

इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित आदेशों के अधिक्रमण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय के दिनांक 04.04.2006 तथा 01.09.2006 के आदेशों के अनुसरण में एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, नीपको लिमिटेड तथा टीएचडीसीआईएल ने बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालकों के 01.01.1997 से अपनाए गए वेतनमानों के नियमन का प्रस्ताव सरकार ने अनुमोदित कर दिया है:-

i. विद्युत मंत्रालय का दिनांक 27.12.2013 का पत्र सं. 11/17/2009-एनएचपीसी/खंड 3
ii. नीपको को संबोधित विद्युत मंत्रालय का दिनांक 28.06.2017 का आदेश सं. 2/1/2014-एच1-खंड 3 (पार्ट)
iii. टीएचडीसीआईएल को संबोधित विद्युत मंत्रालय का दिनांक 28.06.2017 का आदेश सं. 2/2/2014-एच1 (पार्ट)
iv. एनएचपीसी को संबोधित विद्युत मंत्रालय का दिनांक 11.08.2017 का आदेश सं. 6/3/2015-एनएचपीएच (पार्ट 1)
v. सभी विद्युत सीपीएसई को संबोधित विद्युत मंत्रालय का दिनांक 30.06.2017 का आदेश सं. 2/2/2014- एच1 (पार्ट)

2. उपरोक्त सीपीएसई को निदेश दिया जाता है कि सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करें।

भवदीय,

(एस. बेंजामिन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स 23324357

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
2. सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव।
3. संयुक्त सचिव (हाइड्रो) के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/निदेशक (एच 1)/उप सचिव (एच-।।)
4. अवर सचिव (एच ।।)/अवर सचिव (एनएचपीसी)/अवर सचिव (वित्त)।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री एस.पी.जी. वेरघेसे, निदेशक), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 21.01.2019 के पत्राचार सं. 4/सीएम/2019 के संदर्भ में।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-873

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत की आपूर्ति

873. श्री एम. के. राघवनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत कुछ महीनों के दौरान देश में विद्युत की आपूर्ति में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जुलाई से दिसम्बर, 2019 की अवधि के दौरान वर्ष 2018 की समान अवधि की तुलना में विद्युत की वास्तविक आपूर्ति कितनी थी;

(ग) क्या यह औद्योगिक कार्यकलाप के कम होने का संकेत देता है जो कि देश के मूल क्षेत्र सूचकांक का लगभग 20 प्रतिशत भाग है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विद्युत क्षेत्र में तथा इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में कितनी वास्तविक मंदी आई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : अप्रैल 2018 से दिसम्बर, 2018 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019) के दौरान, विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति का माह-वार विवरण, **अनुबंध** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि पहले चार महीनों अर्थात् अप्रैल से जुलाई 2019 के दौरान, आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा 6.5% से 8.5% के बीच थी। अगस्त से नवम्बर, 2019 के दौरान अत्यल्प कमी रही है। तथापि, दिसम्बर, 2019 के दौरान इसमें पुन: वृद्धि हुई है। आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा की वृद्धि जनवरी 2019 की तुलना में जनवरी, 2020 में, 3.2% होने की संभावना है।

अगस्त से नवम्बर 2019 के दौरान, कम बिजली की मांग के कारण का बिल्कुल ठीक निर्धारण कर पाना कठिन है। तथापि, इसका कारण बरसात के मौसम का लम्बा होना तथा अच्छी बरसात हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में तथा घरेलू तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में शीतलन की आवश्यकताओं की मांग में कमी रही। औद्योगिक क्षेत्रों में कोई अधिसूचित बिजली कटौती नहीं हुई थी।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 06.02.2020 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 873 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (अप्रैल, 2019 - दिसंबर, 2019) विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति का माह-वार का विवरण अप्रैल, 2018 से दिसंबर, 2018 ।

माह	**2018-19**	**2019-20**	वृद्धि
	ऊर्जा आपूर्ति	**ऊर्जा आपूर्ति**	**ऊर्जा आपूर्ति**
	(एमयू)	**(एमयू)**	**(%)**
अप्रैल	103,393	110,112	6.5
मई	111,590	120,020	7.6
जून	108,769	117,988	8.5
जुलाई	109,207	116,485	6.7
अगस्त	112,095	111,521	-0.5
सितंबर	108,819	107,515	-1.2
अक्तूबर	112,175	97,847	-12.8
नवंबर	98,321	93,949	-4.4
दिसंबर	100,727	101,081	0.4
जुलाई - दिसंबर	**641,344**	**628,399**	**-2.0**
अप्रैल- दिसंबर	**965,097**	**976,519**	**1.2**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-890

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत निधि का उपयोग

890. श्री शंकर लालवानीः

डॉ. भारतीबेन डी. श्यालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण देश में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधि का उपयोग किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश को कितनी निधि जारी की गई है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश में कोई प्रगति हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना की समीक्षा की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) एवं (ख) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 (31.12.2019 तक) के दौरान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश सहित, राज्यों को 36,241 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया है। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ग) : गुजरात राज्य में, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों में 15 नए उप-केंद्रों का अधिष्ठापन, 28 उप-केंद्रों का संवर्धन, 33 के.वी. लाईनों के 95 सीकेएम का अधिष्ठापन, 1,512 सीकेएम फीडर पृथक्करण, 11 के.वी. लाईनों का 9,246 सीकेएम, एलटी लाइनों का 22,101 सीकेएम तथा 18,533 वितरण ट्रांसफार्मरों का अधिष्ठापन सम्मिलित है। मध्य प्रदेश राज्य में, इस स्कीम के अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों में 141 नए उप-केंद्रों का अधिष्ठापन, 295 उप-केंद्रों का संवर्धन, 33 के.वी. लाईनों के 1,096 सीकेएम, 6,652 सीकेएम फीडर पृथक्करण, 11 के.वी. लाइनों के 12,199 सीकेएम, एलटी लाईनों के 23,576 सीकेएम तथा 22,874 वितरण ट्रांसफार्मरों का अधिष्ठापन सम्मिलित है।

(घ) : स्कीमों की समीक्षा/निगरानी एक सतत प्रक्रिया है तथा इस प्रयोजन के लिए एक तीन स्तरीय कार्यपद्धति बनाई गई है जिसमें नोडल एजेंसी के स्तर पर तथा निगरानी समिति द्वारा समीक्षा के अलावा भारत सरकार के स्तर पर समीक्षा शामिल है। समीक्षा, योजना एवं निगरानी(आरपीएम) बैठकों के दौरान भी इस स्कीम की नियमित समीक्षा की जा रही है। डीडीयूजीजेवाई दिशा के अंतर्गत माननीय संसद सदस्य द्वारा समीक्षा के लिए भी उपलब्ध है।

****

अनुबंध

गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 (31.12.2019 तक) के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जारी अनुदान

करोड़ रुपये में

क्रमांक संख्या	**राज्यों के नाम**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20 (31.12.2020 तक)**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	128	165	177	8	479
2	अरूणाचल प्रदेश	101	81	160	27	369
3	असम	598	401	1,107	329	2,435
4	बिहार	1,292	763	2,412	305	4,772
5	छत्तीसगढ़	126	552	79	30	787
6	गुजरात	110	143	181	-	435
7	हरियाणा	-	45	22	26	94
8	हिमाचल प्रदेश	-	-	15	40	54
9	जम्मू एंड कश्मीर	-	65	542	51	658
10	झारखंड	327	862	1,362	315	2,866
11	कर्नाटक	145	204	451	121	921
12	केरल	134	87	57	8	286
13	मध्य प्रदेश	421	598	952	167	2,137
14	महाराष्ट्र	257	143	482	33	915
15	मणिपुर	36	33	41	0	110
16	मेघालय	26	58	155	118	356
17	मिजोरम	14	42	35	8	98
18	नागालैंड	21	24	55	-	100
19	ओडिशा	1,079	366	1,360	299	3,104
20	पंजाब	-	15	42	23	80
21	राजस्थान	347	782	1,246	101	2,476
22	सिक्किम	-	18	21	-	39
23	तमिलनाडु	110	2	244	47	403
24	तेलंगाना	27	60	61	0	148
25	त्रिपुरा	78	62	112	6	258
26	उत्तर प्रदेश	2,262	3,149	3,560	550	9,522
27	उत्तराखंड	16	33	270	38	358
28	पश्चिम बंगाल	273	241	1,281	176	1,971
29	गोवा	-	-	3	3	6
30	दादर एवं नगर हवेली	-	-	1	-	1
31	पुदुचेरी	1	-	0	2	3
32	अंडमान निकोबार	-	1	-	-	1
	कुल	**7,930**	**8,995**	**16,485**	**2,831**	**36,241**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-904

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

गरीब व्यक्तियों को बिजली कनेक्शन

904. श्री राहुल कस्वाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्रत्येक बस्ती एवं आवास को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान सहित राज्य-वार कितनी निधि् आवंटित की गई है;

(ग) क्या एक वर्ष से भी ज्यादा समय पहले से डिमांड नोट जमा कर चुके गरीब व्यक्तियों को भी घरेलू कनेक्शन प्रदान नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए बस्तियों एवं आवासों की कुल संख्या कितनी है तथा प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की राजस्थान सहित राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) एवं (ख) : भारत सरकार ने, पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों के लिए अंतिम मील तक कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन प्रदान कराते हुए, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य को अक्तूबर, 2017 में प्रारंभ किया।

सौभाग्य योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य को अग्रिम आबंटन नहीं किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियाँ पिछली किश्त(किश्तों) के सूचित उपयोग और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर किश्तों में जारी की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, राजस्थान सहित राज्यों को दिनांक 31.12.2019 तक 4541 करोड़ रुपयों का अनुदान जारी किया जा चुका है। राज्य-वार ब्योरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) से (ङ) : छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित बस्तर क्षेत्र में कुछ घरों को छोड़कर, सभी राज्यों ने 31 मार्च, 2019 तक सौभाग्य पोर्टल पर सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य स्कीम के आरंभ से दिनांक 31.03.2019 तक देश भर में 2.63 करोड़ घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया। राज्य-वार ब्योरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके बाद, सात राज्यों ने 31 मार्च, 2019 से पहले चिह्नित 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों की सूचना दी है, जोकि पहले इच्छुक नहीं थे, परंतु बाद में, कनेक्शन प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए थे। इनमें से, 10,71,336 घरों को 31 जनवरी, 2020 तक विद्युतीकृत कर दिया गया है। राज्य-वार ब्योरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

31.12.2019 तक सौभाग्य के अंतर्गत संवितरित राज्य-वार अनुदान

क्रम सं.	राज्य का नाम	संवितरित अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	अरूणाचल प्रदेश	153
2	असम	490
3	बिहार	314
4	छत्तीसगढ़	284
5	हरियाणा	3
6	हिमाचल प्रदेश	4
7	जम्मू एवं कश्मीर	53
8	झारखंड	152
9	केरल	41
10	मध्य प्रदेश	407
11	महाराष्ट्र	189
12	मणिपुर	41
13	मेघालय	168
14	मिजोरम	35
15	नागालैंड	39
16	ओडिशा	245
17	राजस्थान	123
18	त्रिपुरा	245
19	उत्तर प्रदेश	1412
20	उत्तराखंड	36
21	पश्चिम बंगाल	107
कुल		**4541**

अनुबंध-II

11.10.2017 से 31.03.2019 के दौरान विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930
2	अरूणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	17,45,149
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397
6	गुजरात	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	15,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974
12	लद्धाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,02,748
16	मेघालय	1,99,839
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,32,507
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुद्दुचेरी	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	18,62,736
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,62,84,350**

अनुबंध-III

31 मार्च, 2019 से पहले चिह्नित इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**गैर-विद्युतीकृत घर (पहले अनिच्छुक)**	**01.04.2019 से 31.01.2020 तक विद्युतीकृत घर**	**विद्युतीकृत करने के लिए शेष गैर-विद्युतीकृत घर (31.01.2020 तक)**
1	असम	2,00,000	1,35,291	64,709
2	छत्तीसगढ़	40,394	21,295	19,099
3	झारखंड	2,00,000	1,27,645	72,355
4	कर्नाटक	39,738	26,687	13,051
5	मणिपुर	1,141	1,980	0
6	राजस्थान*	2,28,403	2,12,786	0
7	उत्तर प्रदेश	12,00,003	5,45,652	6,54,351
कुल		**19,09,679**	**10,71,336**	**8,23,565**

* राज्यों ने सूचना दी है कि दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक इच्छुक घरों के विद्युतीकरण की संचयी प्रगति 2,12,786 है और 100% विद्युतीकरण सूचित किया गया है।

****